नियम 106 : विसम्मति

(1) अपीलीय न्यायाधिकरण के उच्च मानकों और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के प्रयोजनार्थ, अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य अपनी विसम्मति देगा;

(क) ऐसे किसी मामले में जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हों जिनके साथ अध्यक्ष या सदस्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक या व्यावसायिक संबंध है या था;

(ख) किसी ऐसे मामले में जिसके संबंध में अध्यक्ष या सदस्य को पहले किसी अन्य क्षमता में बुलाया गया हो, जिसमें सलाहकार, प्रतिनिधि, विशेषज्ञ या साक्षी के रूप में शामिल हो; या

(ग) यदि अन्य परिस्थितियां विद्यमान हों, जैसे कि अध्यक्ष या सदस्य की भागीदारी अनुचित प्रतीत हो।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य स्वयं की विसम्मति का कारण रिकार्ड कर सकता है :

परंतु कार्यवाही में शामिल किसी भी पक्षकार या किसी अन्य व्यक्ति को मामले में अध्यक्ष या सदस्य द्वारा कार्यवाही से विसम्मति के कारणों को जानने का अधिकार नहीं होगा।